



COURT FEE

Authorization No. 2033



36 25/11/2013

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 36 जहानाबाद/विधान सभा क्षेत्र
(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
शपथ-पत्र।

में मंजू देवी भाग-क पुत्री पत्नी
आयु 51 वर्ष, जो मंडिरी - झुंझारपुर
पंच-आसरा - झुंझारपुर
जिला - झुंझारपुर - 1 (डाक का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ

(1) मैं श्री विद्या विद्यादाम (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(जो लागू न हो उसे काट दे)
(2) मेरा नाम 182 कौंडी कुंजिका/संखी 427/विहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० २५ के क्रम सं० २२९ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ९३०५९९७०२ है,
मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) १६१ है
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंटस (यदि कोई हो) १६१ है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूप में)
1	स्वयं	१६१	१६१	१६१
2	पति या पत्नी	१६१	१६१	१६१
3	आश्रित-1	१६१	१६१	१६१
4	आश्रित-2	१६१	१६१	१६१
5	आश्रित-3	१६१	१६१	१६१

SL No. 25/11/2013



Authorised U/S (1) (e) of the Notaries (Act) R. III of 1952

NOTARY
Dist. Jehanabad (Bihar)

5). मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके(जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	नहीं
(ङ)	तारीख(तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वाक्त

मदद(i) में वर्णित मामलों से भिन्न}-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	एडीशियल सेशन जज (XI) 4271
(ख)	इन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	U/S 304(B) 201, 34 कांड नं. 201/2015
(ग)	पूर्वाक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन(आवेदनो)(यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं



- 6). मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है-

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

निम्नलिखित मामलो में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है-

(क)	उन मामलों के ब्योरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	७६
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	७६
(ग)	अधिरोपित दंड	७६
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गइ थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	७६

- (7). मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आरितियों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के

अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण(5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने है।



क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत(मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं)(भार और मूल्य के ब्यौरे)	रोजमूला 60,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि इतों/हित का मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ix)	संपत्ति कुल मूल्य	110,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



- पं 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
 टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	है 24/12/11	12/2/12 10,00,000/-	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि - अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



	संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१६	१६	१६	१६	१६
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१६	१६	१६	१६	१६
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	१६	१६	१६	१६	१६
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	१६	१६	१६	१६	१६
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	१६	१६	१६	१६	१६
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१६	१६	१६	१६	१६
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	१६	१६	१६	१६	१६
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१६	१६	१६	१६	१६
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१६	१६	१६	१६	१६
	आवासीय भवन(अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	१६	१६	१६	१६	१६
क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	१६	१६	१६	१६	१६	
	निर्दिष्ट क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	१६	१६	१६	१६	१६
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	१६	१६	१६	१६	१६
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१६	१६	१६	१६	१६



	अन्य भूमि की मूल्य (क्रय की दशा में)	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१
(v)	अन्य(जैसे कि संपत्ति में हित)	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१
(vi)	पूर्वोत्तर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१

(8). मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-
(टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१
	कोई अन्य दायित्व	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१
	दायित्वों का कुल योग	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१
	सरकारी शोध्य - सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१



	विवाहल आपूर्ति से बर्तने वाले विभाग को शोध्य	१६	१६	१६	१६	१६
	सरकारी परिवहन(वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बर्तने वाले विभाग को शोध्य	१६	१६	१६	१६	१६
	आय-कर शोध्य	१६	१६	१६	१६	१६
	धनकर शोध्य	१६	१६	१६	१६	१६
	सेवाकर शोध्य	१६	१६	१६	१६	१६
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	१६	१६	१६	१६	१६
	विक्रयकर शोध्य	१६	१६	१६	१६	१६
	कोई अन्य शोध्य	१६	१६	१६	१६	१६
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	१६	१६	१६	१६	१६
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लॉबित है का वर्णन करें।	१६	१६	१६	१६	१६

(9). वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं स्वयं

(ख) पति या पत्नी पति

(10). मेरी शैक्षिक अहर्ता नीचे दिये अनुसार है-

राशि



(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे
दते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठयक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

क के (1) से (10) तक दिये गये ब्यौरे का उद्धरण

	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुल मंजु देवी		
2	डाक का पता	पो. जी. पी. ओ. 2 भाग - डौलकाशी जिला 42701		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	182 गौडीपुर विधानसभा विस्		
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खडा किया है (अन्यथा स्वंत्र लिखें)	इंडिपेंडेंट रिजल्ट		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	नहीं -		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	नहीं.		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवां)	नहीं		
7		उत्प्रेषण का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	नहीं	नहीं	नहीं
	(ख) पति या पत्नी	नहीं	नहीं	नहीं
	(ग) अप्रति	नहीं	नहीं	नहीं



और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	१६)	१६)	१६)	१६)	१६)
ख	स्थावर आस्तियां	१६)	१६)	१६)	१६)	१६)
	I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	१६)	१६)	१६)	१६)
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	१६)	१६)	१६)	१६)
	III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	१६)	१६)	१६)	१६)
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	१६)	१६)	१६)	१६)
9	दायित्व	१६)	१६)	१६)	१६)	
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	१६)	१६)	१६)	
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	१६)	१६)	१६)	
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	१६)	१६)	१६)	१६)
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	१६)	१६)	१६)	१६)



उच्चतम शिक्षक अर्हता -

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते)


सत्यापन

उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हू कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख.....को सत्यापित किया गया।


 24/3/14
 अभिसाक्षी

टिप्पण - 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण - 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थित शून्य या लागू नहीं होता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस ईंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये है, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

SL No 78 Date Time 24/3/14



टिप्पण - 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरी दूरभाष संपर्क संख्या/संख्यायें है/हैं Mr. 9304998702 (9304998702)

मेरी ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है..... 78

मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... 78

Authorised U/S (I) (e) of the
 (Act) R. III of 1952

24/3/14
 NOTARY
 Dist. Jehanshad (Bihar)